

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

#### PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 163] No. 163] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 20, 2015/फाल्गुन 29, 1936

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 20, 2015/PHALGUNA 29, 1936

#### वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2015

सा.का.नि. 214(अ).—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लागत लेखा सेवा नियमावली, 2001 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातु:

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय लागत लेखा सेवा नियम, 2015 है।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं:- इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
  - (क) "आयोग" से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;
  - (ख) "नियंत्रक प्राधिकारी" से अभिप्राय भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) अभिप्रेत है।
  - (ग) **"कर्त्तव्य पद"** से सेवा में कोई पद अभिप्रेत है चाहे वह स्थायी है या अस्थायी और जो अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट है:
  - (घ) **"सरकार"** से भारत सरकार अभिप्रेत है;
  - (ङ) "श्रेणी" से सेवा की कोई श्रेणी अभिप्रेत है;

1328 GI/2015 (1)

- (च) **"अन्य पिछड़ा वर्ग"** से अभिप्राय अन्य पिछड़े वर्गों से है और इसका अर्थ वही है जो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/22/93-स्थापना (एस सी टी), तारीख 8 सितम्बर, 1993, समय-समय पर यथा संशोधित, में प्रावधान किया गया है।
- (छ) किसी श्रेणी के संबंध में "नियमित सेवा" से उस श्रेणी में इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पश्चात की गई सेवा की अविध या अविधयां अभिप्रेत हैं और उसके अंतर्गत निम्नलिखित कोई अविध या अविधयां भी हैं:-
  - (1) सेवा के आरम्भिक गठन पर नियुक्ति किए गए व्यक्तियों की दशा में ज्येष्ठता के प्रयोजनों के लिए हिसाब में ली गई अवधि या अवधियां;
  - (2) ऐसी अवधि या अवधियां, जिसके या जिनके दौरान कोई अधिकारी उस श्रेणी में कर्त्तव्य पद धारण करता किंतु उसके छुट्टी पर होने के कारण या अन्यथा सेवा पद धारण करने के लिए उपलब्ध नहीं था;
- (ज) "अनुसूची" से इन नियमों की कोई अनुसूची अभिप्रेत है;
- (झ) **"अनुसूचित जातियों" और "अनुसूचित जनजातियों"** के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (24) और (25) में है;
- (অ) "सेवा" से नियम 3 के अधीन गठित भारतीय लागत लेखा सेवा अभिप्रेत है।
- 3. भारतीय लागत लेखा सेवा का गठन (1) भारतीय लागत लेखा सेवा के नाम से ज्ञात सेवा में नियम 6 और 7 के अधीन नियुक्त किए गए व्यक्ति होंगे।
  - (2) सेवा में सम्मिलित सभी पदों को समूह 'क' पदों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
- 4. श्रेणी, व्यक्तियों की प्राधिकृत संख्या और इनका पुनर्विलोकनः-(1) सेवा की कतिपय श्रेणियों में सम्मिलित कर्त्तव्य पद, उनकी संख्या, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट हैं।
  - (2) सरकार, आयोग के परामर्श से, सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले किन्हीं साधारण या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए श्रेणी की संख्या में, जैसा वह समय-समय पर आवश्यक परिवर्तन कर सकेगी।
- 5. सेवा के सदस्य निम्नलिखित व्यक्ति, उनके नामों के सामने उपदर्शित तारीख से सेवा के सदस्य होंगे, अर्थात्:-
  - (क) इन नियमों के प्रारम्भ होने की तारीख से भारतीय लागत लेखा सेवा नियमावली, 2001 के उपबंधों के अनुसार नियमित आधार पर नियुक्त व्यक्ति;
  - (ख) इन नियमों के प्रारम्भ के पश्चात ऐसी नियुक्ति की तारीख से किसी श्रेणी में किसी कर्तव्य पद पर नियुक्त व्यक्ति;
- **6. सेवा का आरम्भिक गठन** -(1) भारतीय लागत लेखा सेवा नियमावली, 2001 के उपबंधों के अनुसार श्रेणी में नियुक्तिधारण करने वाला व्यक्ति इन नियमों के प्रारम्भ पर सेवा के उस ग्रेड में नियुक्त समझा जाएगा।
  - (2) इन नियमों के लागू होने से पूर्व उप-नियम (1) में संदर्भित व्यक्ति की नियमित लगातार सेवा परिवीक्षा पुष्टि, प्रोन्नति के लिए अर्हक सेवा, ज्येष्ठता और पेंशन के प्रयोजनों के लिए हिसाब में ली जाएगी।
  - (3) इस नियम के उपबंधों के अनुसार सेवा की विभिन्न श्रेणियों के विस्तार तक की संख्या, जो भरी नहीं गई हैं, नियम 7 के उपबंधों के अनुसार भरी जाएंगी।
  - (4) प्रधान सलाहकार (लागत) का पद धारण करने वाला पदधारी, जो इन नियमों के आरम्भ होने से पूर्व उक्त पद पर नियमित आधार पर नियुक्त हुआ वह उक्त पद पर इन नियमों के अधीन नियुक्त हुआ समझा जाएगा और इन

नियमों के लागू होने से पूर्व उक्त पद पर उसके द्वारा की गई सेवा को प्रोन्नति, आदि प्रयोजनों के लिए हिसाब में लिया जाएगा।

- 7. सेवा का भावी अनुरक्षण (1) यदि नियम 6 में यथा उपबंधित सेवा के आरम्भिक गठन के पश्चात अनूसूची I में निर्दिष्ट किसी श्रेणी में कोई रिक्ति होती है तो उसे उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट रीति से भरा जाएगा।
  - (2) सेवा की विभिन्न श्रेणियों में भर्ती की पद्धति, चयन का क्षेत्र, ठीक निचली श्रेणी में न्यूनतम अर्हक सेवा और नियुक्ति के लिए अन्य पात्रता शर्तें वे होंगी जो अनुसूची II में विनिर्दिष्ट हैं।
  - (3) प्रोन्नति द्वारा विभिन्न श्रेणियों में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी की उपयुक्तता अनुसूची III में विनिर्दिष्ट रीति में नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा गठित विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा अवधारित की जाएगी।
  - (4) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी जहां नियंत्रक प्राधिकारी की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके किसी ग्रेड में कोई कर्त्तव्य पद अनुसूची II के उपाबंध में अंतर्विष्ट उपाबंधों के अनुसार प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा पर भर सकेगा।
- 8. ज्येष्ठता (1) इन नियमों के प्रारम्भ होने पर सेवा के सदस्यों की सापेक्ष ज्येष्ठता इन नियमों के प्रारम्भ होने की तारीख से पूर्व उनके संबंधित श्रेणियों में यथा अवधारित सापेक्ष ज्येष्ठता होगी।

परन्तु यदि इन नियमों के प्रारम्भ होने से पूर्व सेवा के किसी सदस्य की ज्येष्ठता अवधारित नहीं की गई हो तो यह सरकार द्वारा समय-समय पर जारी साधारण अनुदेशों के अनुसार सरकार द्वारा अवधारित की जाएगी।

- (2) आरम्भिक गठन के पश्चात सेवा में भर्ती किए गए व्यक्तियों की ज्येष्ठता सरकार द्वारा इस विषय में समय-समय पर जारी साधारण अनुदेशों के अनुसार अवधारित की जाएगी।
- 9. परिवीक्षा (1) सेवा में सीधे भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन होगा:

परन्तु यह कि नियंत्रक प्राधिकारी परिवीक्षा की अवधि को सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार बढ़ा सकेगा या उसे कम कर सकेगा।

परन्तु यह और कि परिवीक्षा अवधि को बढ़ाने का विनिश्चय पूर्ववर्ती परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात आठ सप्ताह के भीतर किया जाएगा और ऐसा करने के कारणों सहित उसको लिखित में उक्त अवधि के भीतर संबंधित अधिकारी को संसूचित किया जाएगा।

- (2) परिवीक्षा की अवधि या उसमें किए गए विस्तार की समाप्ति पर यदि व्यक्तियों को स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त माना जाए तो उन्हें नियुक्तियों पर नियमित आधार पर रखा जाएगा और उसकी पृष्टि कर दी जाएगी।
- (3) यदि, यथास्थिति, परिवीक्षा की अविध या उसमें किए गए विस्तार के दौरान, सरकार की यह राय है कि कोई अधिकारी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है तो वह अभ्यर्थी को, यथास्थिति सेवान्मुक्त कर सकेगी या सेवा में नियुक्ति के पूर्व उसके द्वारा धारित पद पर प्रतिवर्तित कर सकेगी, या ऐसे आदेश जो उपयुक्त समझे, पारित कर सकेगी।
- (4) परिवीक्षा की अविध या उसमें अन्य विस्तार के दौरान, सरकार अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वे ऐसा प्रशिक्षण और शिक्षण पाठ्यक्रम प्राप्त और ऐसी परीक्षाएं या परीक्षण (जिसके अंतर्गत हिन्दी में परीक्षा भी है) पास करें जो वह परिवीक्षा के संतोषजनक पूरा करने की शर्त के रूप में उपयुक्त समझे।
- (5) परीवीक्षा से संबंधित अन्य मामलों के संबंध में सेवा के सदस्य इस विषय पर समय-समय पर सरकार द्वारा जारी अनुदेशों से शासित होंगे।

- 10. अकृत्यिक उन्नयन (1) जब भी राज्य या संयुक्त काडर का कोई भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी केन्द्र में वेतन बैंड 3, वेतन बैंड 4 या एच ए जी में विनिर्दिष्ट ग्रेड वेतन वाले विशिष्ट ग्रेड में पदस्थापित किया जाता है तो इस सेवा का सदस्य जो ऐसे भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी से दो वर्ष या अधिक वर्ष ज्येष्ठ है और उस विशिष्ट ग्रेड में अभी तक प्रोन्नत नहीं किया गया है तो उन्हें भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. सं. 14017/64/2008-स्थापना(आर आर), तारीख 24 अप्रैल, 2009 और इस विषय पर समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार केन्द्र में उस विशिष्ट ग्रेड में भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी के पदस्थापन तारीख से अकृत्यिक आधार पर की जाएगी।
  - (2) उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट आदेशों के अधीन उच्चतर वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान प्रदान करने के लिए अनुसूची III में यथा विनिर्दिष्ट छानबीन समिति द्वारा छानबीन के समय विशिष्ट ग्रेड वेतन में उन्नयन के लिए 'बेंचमार्क' सहित सभी पात्रता मानदंड और प्रोन्नित सन्नियम को पूरा करना होगा।
- 11. भारत में अथवा भारत के बाहर के किसी भाग में सेवा करने का दायित्व- सेवा का कोई सदस्य भारत में या भारत के बाहर, कहीं भी सेवा करने का दायी होगा।
- 12. सेवा की अन्य शर्तें उन विषयों से संबंधित जिनके लिए इन नियमों में उपबंघ नहीं किया गया है, जब तक कि सरकार अन्यथा आदेश न करे, सेवा के सदस्यों की सेवा की शर्तें वही होंगी, जो केन्द्रीय सिविल सेवा समूह 'क' के अधिकारियों पर समय-समय पर लागू होती है।
- 13. निरर्हताएं:- वह व्यक्ति- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
  - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 14. शिथिल करने की शक्ति -जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- **15. व्यावृत्ति -** इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भृतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।
- **16**. **निर्वचन** -यदि इन नियमों के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो इसके विनिश्चय के लिए सरकार को निर्दिष्ट कर दिया जाएगा।

## अनुसूची-I [नियम 2 (घ), 4(1) और 7(1) देखें]

## भारतीय लागत लेखा सेवा की विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित कर्त्तव्य पदों के नाम, संख्या, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	पदाभिधान	पदों की	वेतन बैंड या ग्रेड वेतन/वेतनमान
		का संख्या	
1	मुख्य सलाहकार (लागत)	1	उच्चतम वेतनमान: रुपए 80000/- (नियत)
2	उच्च प्रशासनिक श्रेणी + अपर मुख्य सलाहकार	2	उच्च प्रशासनिक श्रेणी + वेतनमानः रुपए 75500 (3 प्रतिशत की दर
	(लागत)		से वार्षिक वेतनवृद्धि)-80000/-
3	उच्च प्रशासनिक श्रेणी	3	उच्च प्रशासनिक श्रेणी
	प्रधान सलाहकार (लागत)		वेतनमानः रुपए 67000 (3 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि) -
			79000/-
4	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	21	वेतन बैंड-4 रुपए 37400-67000 + ग्रेड वेतन रुपए 10000/-
	सलाहकार (लागत)		
5	किनष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (अकृत्यिक चयन श्रेणी)	57	वेतन बैंड-4 : रुपए 37000-67000/- + ग्रेड वेतन रुपए 8700/-
	निदेशक (लागत)/कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी		वेतन बैंड-3 : रुपए 15600-39100/-+ ग्रेड वेतन रुपए 7600/-
	संयुक्त निदेशक (लागत)		
6	ज्येष्ठ काल वेतनमान	43	वेतन बैंड-3 : रुपए 15600-39100/- + ग्रेड वेतन रुपए 6600/-
	उप निदेशक (लागत)		
7	कनिष्ठ काल वेतनमान	29	वेतन बैंड-3 : रुपए 15600-39100/- + ग्रेड वेतन रुपए 5400/-
	सहायक निदेशक (लागत)		
8	आरक्षित	20	वेतन बैंड-3 : रुपए 15600-39100/- + ग्रेड वेतन रुपए 5400/-
	कुल	176	

टिप्पण: अकृत्यिक चयन श्रेणी में पदों की संख्या ज्येष्ठ कर्त्तव्य पदों (काडर में ज्येष्ठ काल वेतनमान और उससे ऊपर के सभी कर्त्तव्य पद शामिल हैं) के तीस प्रतिशत के बराबर होगी।

अनुसूची-II (नियम 7 (2) देखें)

## विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित कर्त्तव्य पद पर प्रोन्निति/सीधी भर्ती/प्रितिनियुक्ति द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति के लिए भर्ती की पद्धित, प्रोन्निति का क्षेत्र, अगली निचली श्रेणी में न्यूनतम अर्हक सेवा और अन्य पात्रता शर्तें दर्शित करने वाला विवरण

क्र.सं.	पदाभिधान	चयन या अचयन पद	भर्ती की पद्धति	चयन का क्षेत्र, न्यूनतम अर्हक सेवा और अन्य पात्रता शर्तें
1.	2.	3.	4.	5.
1	मुख्य सलाहकार (लागत) उच्चतम वेतनमान: रुपए 80000/- (नियत)	चयन	प्रोन्नित द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	रुपए 75500/- के वेतनमान (3 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि) – रुपए 80000/- की उच्च प्रशासनिक श्रेणी में ऐसे अपर मुख्य सलाहकार (लागत) जिन्होंने उस श्रेणी में एक वर्ष की नियमित सेवा की हो।

	अपर मुख्य सलाहकार	चयन	प्रोन्नति द्वारा	
2	अपर मुख्य सलाहकार (लागत) उच्च प्रशासनिक श्रेणी + वेतनमान रुपए 75500-(3 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतन वृद्धि) - 80000/-रुपए	<b>पथ</b> ग	त्रासास द्वारा	एच ए जी रुपए 67000/- (3 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि) - रुपए 79000/- के वेतनमान की उच्च प्रशासनिक श्रेणी में जिन्होंने उस श्रेणी में एक वर्ष की नियमित सेवा की हो ऐसे प्रधान सलाहकार (लागत)।
3	प्रधान सलाहकार (लागत) उच्च प्रशासनिक श्रेणी + वेतनमान रुपए 67000/- (3 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि) – रुपए 79000/-	चयन	प्रोन्नति द्वारा	(क) वेतन बैंड -4; रुपए 37400-67000/- + ग्रेड वेतन रुपए 10000/- की ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में सलाहकार (लागत) के पद धारण करने वाले ऐसे अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; या  (ख) ऐसे अधिकारी जिन्होंने सेवा में समूह 'क' के पद पर पच्चीस वर्ष नियमित सेवा की हो जिसमें से कम से कम एक वर्ष की नियमित सेवा ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में सलाहकार (लागत) के रूप में होनी चाहिए; या  (ग) ऐसे अधिकारी जिन्होंने सेवा में समूह 'क' पद पर इक्कीस वर्ष की नियमित सेवा की हो,
				जिसमें से अधिकारियों जिन्होंने सेवा में ज्येष्ठ काल वेतनमान के स्तर पर सेवा में प्रवेश किया है, की दशा में कम से कम एक वर्ष की नियमित सेवा ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में सलाहकार (लागत) के रूप में होनी चाहिए।
4	सलाहकार (लागत) ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी वेतन बैंड - 4: रुपए 37400-67000/- + ग्रेड वेतन रुपए 10000/-	चयन	प्रोन्नति द्वारा	(क) किनष्ठ प्रशासिनक श्रेणी में ऐसे अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्षों की नियमित सेवा की है जिसके अंतर्गत किनष्ठ प्रशासिनक श्रेणी की अकृत्यिक चयन श्रेणी में प्रदान की गई सेवा, यिद कोई हो, भी है; या  (ख) ऐसे अधिकारी जिन्होंने सेवा में समूह- 'क' पदों पर सत्रह वर्षों की नियमित सेवा की हो जिसमें से कम से कम चार वर्ष की नियमित सेवा किनष्ठ प्रशासिनक श्रेणी, जिसके अंतर्गत किनष्ठ प्रशासिनक श्रेणी की अकृत्यिक चयन श्रेणी में प्रदान की गई सेवा, यिद कोई है, की हो, भी है; या  (ग) ऐसे अधिकारी जिन्होंने सेवा में समूह- 'क' पदों पर तेरह वर्षों की नियमित सेवा की हो जिसमें से अधिकारियों जिन्होंने सेवा में प्रवेश किया है, की दशा में कम से कम चार वर्षों की नियमित सेवा किनष्ठ प्रशासिनक सेवा, जिसके अंतर्गत किनष्ठ प्रशासिनक सेवा की अकृत्यिक चयन श्रेणी में प्रदान की गई सेवा, यिद कोई हो भी है, की हो।

[भाग II-खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 7

5	निदेशक (लागत)		उपयुक्तता के स्थापन	(क) कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के ऐसे अधिकारी
	   कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी		द्वारा	्र जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित
	(अकृत्यिक) में चयन श्रेणी			सेवा की है; अथवा
	वेतन बैंड – 4: रुपए			(ख) ऐसे कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के अधिकारी
	37400-67000/ + ग्रेड			जिन्होंने चयन के उस वर्ष, जिसमें सदस्य समूह
	वेतन रुपए 8700/-			'क' पदों पर नियुक्त या भर्ती किया गया था, के
	·			आधार पर संगणित, वर्ष की पहली जनवरी को सेवा के चौदहवें वर्ष में प्रवेश कर लिया है;
				अथवा
				(ग) ऐसे कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के अधिकारी
				जिन्होंने चयन के उस वर्ष, जिसमें ऐसे
				अधिकारियों जिन्होंने सेवा में ज्येष्ठ काल
				वेतनमान पर प्रवेश किया था, की दशा में
				सदस्य समूह 'क' पदों पर नियुक्त या भर्ती किया गया था के आधार पर संगणित, वर्ष की पहली
				जनवरी को सेवा के दसवें वर्ष में प्रवेश कर
				लिया है।
				टिप्पण : सेवा के समूह 'क' पदों में दस वर्षों की
				नियमित सेवा की आवश्यकता ऐसे कनिष्ठ
				प्रशासनिक श्रेणी के स्तर के अधिकारियों पर जिन्होंने सेवा में, सेवा के ज्येष्ठ काल वेतनमान स्तर
				पर प्रवेश किया है, लागू नहीं होगी परंतु वे ऐसे
				कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के स्तर के अधिकारियों जो
				अकृत्यिक चयन श्रेणी के लिए अन्यथा पात्र है, से ज्येष्ठ हो।
6	संयुक्त निदेशक (लागत)	चयन	प्रोन्नति द्वारा जिसके	उप निदेशक (लागत) का पद धारण करने वाले ऐसे
	्र किनष्ठ प्रशासनिक श्रेणी		न होने पर	अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा
	   वेतन बैंड – 3: रुपए		प्रतिनियुक्ति द्वारा	की है।
	15600-39100/- + ग्रेड		(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा	
	वेतन रुपए 7600/-		अल्पकाालक सावदा भी है)	
7	उप निदेशक (लागत)	चयन	पारका प्रोन्नति द्वारा जिसके	सहायक निदेशक (लागत) का पद धारण करने वाले ऐसे
'	। उप ।नदशक (लागत)     ज्येष्ठ काल वेतन	વવા	न होने पर	अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में चार वर्ष नियमित सेवा
			प्रतिनियुक्ति द्वारा	की है।
	वेतन बैंड - 3: रुपए		(जिसके अंतर्गत	
	15600-39100/- + ग्रेड		अल्पकालिक संविदा भी है)	
	वेतन रुपए 6600/-	<del></del>	~	
8	सहायक निदेशक (लागत)	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती द्वारा	(क) <b>आयु:</b> 35 वर्ष से अनधिक (केन्द्रीय सरकार
	कनिष्ठ काल वेतनमान	ά,		द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक
	वेतन बैंड – 3: रुपए			शिथिल की जा सकती है।)
	15600-39100/- + ग्रेड			(ख) <b>शैक्षिक अर्हता</b> :
	वेतन रुपए 5400/-			(क) आवश्यक :
				भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान या भारतीय
				लागत लेखाकार संस्थान के सदस्यों के
				रजिस्टर में नामांकन के लिए मान्यताप्राप्त अर्हता
	I			16/11

	(ख) वांछनीय∶
	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री;
	(ii) लागत लेखा कार्य में तीन वर्ष का अनुभव।
	टिप्पण-1: अर्हता, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।
	टिप्पण-2 : सहायक निदेशक (लागत) के पद पर भर्ती, आयोग द्वारा किए गए चयन के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा की जाएगी।
	टिप्पण-3: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भारत में अभ्यार्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।

## अनुसूची-II का उपाबंध

[नियम 7(4) देखें]

## भारतीय लागत लेखा सेवा की विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित कर्त्तव्य पदों पर प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा द्वारा नियुक्ति के मामलों में चयन का क्षेत्र और अन्य पात्रता शर्तें दर्शित करने वाला विवरण

क्र.सं.	पदाभिधान	चयन का क्षेत्र, न्यूनतम अर्हक सेवा और अन्य पात्रता शर्तें
1	2	3
1.	मुख्य सलाहकार (लागत) उच्चतम वेतनमान : रुपए 80000/- (नियत)	केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी -  (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या  (ii) जिन्होंने अपने मूल काडर या विभाग में उच्च प्रशासनिक श्रेणी + रुपए 75500/- (3 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि ) - रुपए 80000/- के वेतनमान या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में एक वर्ष की नियमित सेवा की हो; और  (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं:  (İ) भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान या भारतीय लागत लेखाकार संस्थान का सदस्य और;  (İİ) लागत लेखा कार्य में 20 वर्ष का अनुभव।
2.	अपर मुख्य सलाहकार (लागत) उच्च प्रशासनिक श्रेणी + वेतनमानः रुपए 75500/-	केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

	(3 प्रतिशत की दर से वार्षिक	(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में उच्च प्रशासनिक श्रेणी में रुपए 67000/-
	वेतनवृद्धि)- 80000/- रुपए	(3 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि) - 79000/- रुपए के वेतनमान अथवा समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में एक वर्ष की नियमित सेवा की है।
		(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :
		(i) भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान या भारतीय लागत लेखाकार संस्थान का
		सदस्य; और
		(ii) लागत लेखा कार्य में 19 वर्ष का अनुभव।
3.	प्रधान सलाहकार (लागत) उच्च प्रशासनिक श्रेणी	केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी -
	वेतनमानः रुपए 67000/- (3 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि)- 79000/-रुपए	(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
	14(11g) 150007 (1)	(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-4 में रुपए 37400-67000/- रुपए + ग्रेड वेतन रुपए 10000/- अथवा समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है।
		(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :
		(i) भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान या भारतीय लागत लेखाकार संस्थान का सदस्य; और
		(ii) लागत लेखा कार्य में 18 वर्ष का अनुभव ।
4.	सलाहकार (लागत) ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी वेतन बैंड-4:	केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी -
	रुपए 37400-67000/- + ग्रेड वेतन रुपए 10000/-	(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
		(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3 में रुपए 15600-39100/- + ग्रेड वेतन रुपए 7600/- या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है; और
		(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :
		(i) भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान या भारतीय लागत लेखाकार संस्थान का सदस्य; और
		(ii)   लागत लेखा कार्य में 15 वर्ष का अनुभव हो।
5.	संयुक्त निदेशक (लागत) वेतन बैंड-3 : रुपए 15600-	केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी -
	39100/- + ग्रेड वेतन रुपए 7600/-	(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
		(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3 में रुपए 15600-39100/- + ग्रेड वेतन रुपए 6600/- या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और

		(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अन्भव हैं।
		(i) भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान या भारतीय लागत लेखाकार संस्थान का सदस्य; और
		(ii) लागत लेखा कार्य में 10 वर्ष का अनुभव हो।
6.	उप निदेशक (लागत)	केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारीः
	वेतन बैंड-3: रुपए 15600- 39100/- + ग्रेड वेतन रुपए	(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
	6600/-	(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3 में रुपए 15600-39100/- + ग्रेड वेतन रुपए 5400/- या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और
		(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।
		(i) भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान या भारतीय लागत लेखाकार संस्थान का सदस्य; और
		(ii) लागत लेखा कार्य में 5 वर्ष का अनुभव हो।
7.	सहायक निदेशक (लागत) वेतन बैंड-3: रुपए 15600-	केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी-
	39100/- + ग्रेड वेतन रुपए 5400/-	(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
		(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2 रुपए 9300-34800/- + ग्रेड वेतन रुपए 4600/- या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; या
		(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2 में रुपए 9300-34800/- + ग्रेड वेतन रुपए 4200/- या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो; और
		(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।
		(i) आवश्यक
		भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान या भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के सदस्यों के रजिस्टर में नामांकन के लिए मान्यता प्राप्त अर्हता।
		(ii) वांछनीय
		(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री;
		(ii) लागत लेखा में तीन वर्ष का अनुभव।

टिप्पण (1): प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा जिसके अंतर्गत प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा की अवधि भी है केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन में विभिन्न श्रेणियों के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मार्गदर्शक सिद्धांतों में यथा उपबंधित होगी।

टिप्पण (2): किसी भी श्रेणी में स्वीकृत संख्या की बीस प्रतिशत से अधिक रिक्तियां प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा द्वारा नहीं भरी जाएंगी।

## अनुसूची-III (नियम 7 (3) और 10 देखें)

## भारतीय लागत लेखा सेवा में विभिन्न पदों पर प्रोन्नति/पुष्टि के लिए तथा अकृत्यिक उन्नयन प्रदान करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति/छानबीन समिति की संरचना को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	पदाभिधान	प्रोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति/अकृत्यिक चयन श्रेणी प्रदान करने के लिए छानबीन समिति की संरचना		पुष्टि के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना	ক	कृत्यिक उन्नयन प्रदान रने के लिए छानबीन समिति की संरचना
1	2	3	4	5		
1	मुख्य सलाहकार (लागत), उच्चतम वेतनमान	(i) (ii) (iii)	अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष सचिव, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग – सदस्य सचिव, वित्त मंत्रालय, आर्थिक विभाग - सदस्य	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता
2	अपर मुख्य सलाहकार (लागत) उच्च प्रशासनिक श्रेणी +	(i) (ii) (iii)	अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष सचिव, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग-सदस्य मुख्य सलाहकार (लागत) - सदस्य	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता
3	प्रधान सलाहकार (लागत) उच्च प्रशासनिक श्रेणी	(i) (ii) (iii)	अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष सचिव, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग – सदस्य मुख्य सलाहकार (लागत) या अपर मुख्य सलाहकार (लागत) – सदस्य	लागू नहीं होता	(i) (ii) (iii)	सचिव, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग – अध्यक्ष अपर सचिव, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग मुख्य सलाहकार (लागत), या अपर मुख्य सलाहकार (लागत) -सदस्य
4	सलाहकार (लागत) ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	(i) (ii) (iii)	अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष सचिव, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग – सदस्य मुख्य सलाहकार (लागत) या अपर मुख्य सलाहकार (लागत) - सदस्य	लागू नहीं होता	(i) (ii) (iii)	सचिव, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग- अध्यक्ष मुख्य सलाहकार (लागत) या अपर मुख्य सलाहकार (लागत) - सदस्य प्रधान सलाहकार (लागत) - सदस्य
5	निदेशक (लागत) कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में चयन श्रेणी (अकृत्यिक)	छानर्ब (i) (ii) (iii)	ोन सिमिति सिचिव, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग – अध्यक्ष मुख्य सलाहकार (लागत) या अपर मुख्य सलाहकार (लागत) या प्रधान सलाहकार (लागत) – सदस्य संयुक्त सिचव (कार्मिक), वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग – सदस्य संयुक्त सिचव (प्रशासनिक अधिकरण और प्रशासन) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग - सदस्य	लागू नहीं होता	(i) (ii)	सचिव, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग – अध्यक्ष मुख्य सलाहकार (लागत) या अपर मुख्य सलाहकार (लागत) या प्रधान सलाहकार (लागत) – सदस्य

	संयुक्त निदेशक			(iv)	संयुक्त सचिव (कार्मिक), वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग - सदस्य संयुक्त सचिव (प्रशासनिक अधिकरण और प्रशासन) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग - सदस्य
6	संयुक्त निदेशक (लागत) कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	(ii) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष (iii) सचिव, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग – सदस्य (iii) मुख्य सलाहकार (लागत)/ या अपर मुख्य सलाहकार (लागत)/ या प्रधान सलाहकार (लागत) - सदस्य	लागू नहीं होता	(ii) (ii)	सचिव, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग – अध्यक्ष मुख्य सलाहकार (लागत) या अपर मुख्य सलाहकार (लागत) या प्रधान सलाहकार (लागत) – सदस्य संयुक्त सचिव (कार्मिक), वित्त
				(iv)	मंत्रालय, व्यय विभाग  - सदस्य  संयुक्त सचिव (प्रशासनिक अधिकरण और प्रशासन) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग - सदस्य
7	उप निदेशक (लागत) ज्येष्ठ काल वेतनमान	<ul> <li>(i) सचिव, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग – अध्यक्ष</li> <li>(ii) मुख्य सलाहकार (लागत) या अपर मुख्य सलाहकार (लागत) या प्रधान सलाहकार (लागत) – सदस्य</li> <li>(iii) संयुक्त सचिव (कार्मिक), वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग – सदस्य</li> <li>(iv) निदेशक, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग - सदस्य</li> </ul>	लागू नहीं होता		
8	सहायक निदेशक (लागत) कनिष्ठ काल वेतनमान	लागू नहीं होता	(i) सचिव, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग – अध्यक्ष (ii) मुख्य सलाहकार (लागत) या अपर मुख्य सलाहकार		

 1	 
	(लागत) या
	प्रधान
	सलाहकार
	(लागत)
	– सदस्य
	(iii) संयुक्त
	सचिव
	(कार्मिक),
	वित्त
	मंत्रालय,
	व्यय विभाग
	– सदस्य
	(iv) निदेशक
	(प्रशासन),
	व्यय विभाग
	– सदस्य

- टिप्पण 1: आयोग के अध्यक्ष या सदस्य से भिन्न किसी अन्य सदस्य की अनुपस्थिति से विभागीय प्रोन्नति समिति की कोई कार्यवाही अविधिमान्य नहीं होगी, यदि उस समिति के अन्य सदस्यों ने उसकी बैठक में भाग लिया है।
- टिप्पण 2: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।
- टिप्पण 3: ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे, तथापि उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट पदधारी की सेवा को नियमित करने के उद्देश्य से नियम 6 का उप नियम (4) भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त होगा और यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त उप-नियम को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति का हित प्रतिकूल प्रभावित नहीं होता।

[फा. सं. ए-12018/1/2014-सीएसी]

बी. बी. गोयल, प्रधान सलाहकार (लागत)

# MINISTRY OF FINANCE (Department of Expenditure) NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 2015

- **G.S.R. 214(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Indian Cost Accounts Service Rules, 2001, except as respects things done or omitted to have been done before such supersession, the President hereby makes the following rules, namely:-
  - 1. **Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Indian Cost Accounts Service Rules, 2015.
    - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
  - 2. **Definitions.** In these rules, unless the context otherwise requires,
    - (a) "Commission" means the Union Public Service Commission;

- (b) "Controlling Authority" means the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Expenditure);
- (c) "Duty post" means any post in the Service, whether permanent or temporary, and specified in Schedule I,
- (d) "Government" means the Government of India;
- (e) "Grade" means a grade of the Service;
- (f) "OBC" means other backward classes having the same meaning as provided in the Department of Personnel and Training O. M. No. 36012/22/22/93-Estt. (SCT), dated the 8<sup>th</sup> September, 1993 as amended from time to time.
- (g) "Regular service" in relation to any grade means the period or periods of service in that grade, rendered after selection, under these rules, to that grade, and includes any period or period,-
  - (i) taken into account for purposes of seniority in the case of those appointed at the initial constitution of the service;
  - (ii) during which an officer would have held a duty post in that grade but for his being on leave or otherwise not being available for holding such post;
- (h) "Schedule" means a Schedule to these rules;
- (i) **"Scheduled Castes" and "Scheduled Tribes"** shall have the meanings respectively assigned to them in clauses (24) and (25) of article 366 of the Constitution;
- (j) "Service" means the Indian Cost Accounts Service constituted under rule 3.
- 3. **Constitution of Indian Cost Accounts Service.** (1) The Service known as the Indian Cost Accounts Service shall consist of persons appointed to the Service under rules 6 and 7.
  - (2) All the posts included in the Service shall be classified as Group 'A' posts.
- 4. **Grade, authorised strength and its review.** (1) The duty posts included in the various grades of the Service, their number, pay band and grade pay or pay scale shall be as specified in Schedule I.
  - (2) The Government may, in consultation with the Commission, make such alteration to the strength of a grade as deemed necessary from time to time subject to any general or special orders that may be issued by the Government.
- 5. **Members of Service.** The following persons shall be Members of the Service with effect from the dates indicated against them, namely:-
  - (a) a person holding appointment on regular basis in accordance with the provisions of the Indian Cost Accounts Service Rules, 2001, from the date of commencement of these rules;
  - (b) a person appointed to any duty post in any grade after the commencement of these rules, from the date of such appointment.
- 6. **Initial Constitution of the Service.** (1) A person holding appointment to a grade in accordance with the provisions of the Indian Cost Accounts Service Rules, 2001, shall be deemed to have been appointed in the Service in that grade at the commencement of these rules.
  - (2) The regular continuous service of a person referred to in sub-rule (1) before the commencement of these rules shall count for the purposes of probation, confirmation, qualifying service for promotion, seniority and pension.
  - (3) To the extent the strength of the various grades in the Service have not been filled, in accordance with the provisions of this rule, the same shall be filled in accordance with the provisions of rule 7.
  - (4) The incumbent holding the post of Principal Adviser (Cost), who was appointed on regular basis to the said post before the commencement of these rules, shall be deemed to have been appointed to the said post under these rules and the service rendered by him in the said post before such commencement shall be taken into account for the purpose of promotion, etc.

- 7. **Future maintenance of the Service.** (1) Any vacancy in any of the grades referred to in Schedule I, after the initial constitution of the Service as provided in rule 6, shall be filled in the manner specified in sub-rule (2).
  - (2) The method of recruitment, field of selection, minimum qualifying service in the next lower grade and other eligibility conditions for appointment to the various grades of the Service shall be as specified in Schedule II.
  - (3) The suitability of candidates for appointment to the various grades by promotion shall be determined by the Departmental Promotion Committees constituted by the Controlling Authority in the manner specified in Schedule III.
  - (4) Notwithstanding anything contained in these rules, where the Controlling Authority is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may in consultation with the Commission fill a duty post in any grade by deputation or on short-term contract in accordance with the provisions contained in the Annexure to Schedule II.
- 8. **Seniority.** (1) The relative seniority of the Members of the Service on commencement of these rules shall be the relative seniority in their respect grades as determined before the date of such commencement:

Provided that if the seniority of any Member of the Service had not been determined before the commencement of these rules, it shall be determined by the Government in accordance with the general instructions on seniority issued by the Government from time to time.

- (2) The seniority of the persons recruited to the Service after the initial constitution shall be determined in accordance with the general instructions issued by the Government in the matter from time to time.
- **9. Probation.**—(1) Every person appointed to the Service by direct recruitment shall be on probation for a period of two years:

Provided that the Controlling Authority may extend or curtail the period of probation in accordance with the instructions issued by the Government from time to time:

Provided further that any decision for extension of probation shall be taken within eight weeks after the expiry of the previous probationary period and communicated in writing to the concerned officer together with the reasons for so doing within the said period.

- (2) On the completion of the period of probation or any extension thereof, persons shall, if considered fit for permanent appointment, be retained in their appointment on a regular basis and be confirmed.
- (3) If, during the period of probation or any extension thereof, as the case may be, the Government is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment, it may discharge or revert the candidate to the post held by him prior to his appointment in the Service, as the case may be, or pass such Orders as it deems fit.
- (4) During the period of probation or any extension thereof, the candidates may be required by the Government to undergo such course of training and instructions and to pass such examinations and tests (including examination in Hindi) as it may deem fit, as a condition to the satisfactory completion of the probation.
- (5) As regards other matters relating to probation, the Members of the Service shall be governed by the instructions issued by the Government in this regard from time to time.
- **10. Non-functional upgradation.** (1) Whenever any Indian Administrative Service officer of the State or Joint Cadre is posted at the Centre to a particular grade carrying a specific grade pay in Pay Band 3, Pay Band 4 or HAG, the Members of the Service, who are senior to such Indian Administrative Service officer by two years or more and have not so far been promoted to that particular grade, shall be granted the same grade on non-functional basis from the date of posting of the Indian Administrative Service officer in that particular grade at the Centre, in accordance with Government

- of India, Department of Personnel and Training O.M. No. 14017/64/2008-Estt. (RR), dated 24th April, 2009 and the instructions or orders issued on the subject from time to time.
- (2) All the eligibility criteria and promotional norms including 'benchmark' for up-gradation to a particular grade pay shall have to be met at the time of screening by the Screening Committee as specified in Schedule III for grant of higher Pay Band and Grade Pay or Pay Scale under the orders referred to in sub-rule(1).
- **11. Liability to serve anywhere in India or outside.** A Member of the Service shall be liable to serve anywhere in India or outside the country.
- **12. Other conditions of Service.** The conditions of service of Members of the Service in respect of matters for which no provision has been made in these rules shall, unless the Government otherwise orders, be the same as are applicable from time to time to the officers of the Central Civil Services Group 'A'.
- **13. Disqualification.** No person, -
  - (a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to the Service:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **14. Power to relax.** Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **15. Saving.** Nothing in these rules shall effect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.
- **16. Interpretation.** If any question relating to interpretation of these rules arises, it shall be referred to the Government for its decision.

# SCHEDULE I [See rules 2(d), 4(1) and 7(1)]

## Statement showing the Name, Number, Pay Band and Grade Pay or Pay Scale of duty posts included in the various grades of the Indian Cost Accounts Service

Sl. No.	Designation of post	Number of posts	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Chief Adviser (Cost)	1	Apex Scale: Rs.80000 (Fixed)
2.	Higher Administrative Grade+ Additional Chief Adviser (Cost)	2	Higher Administrative Grade+ Scale : Rs.75500- (annual increment@ 3%)-80000
3.	Higher Administrative Grade	3	Higher Administrative Grade
	Principal Adviser (Cost)		Scale: Rs.67000- (annual increment@ 3%)-79000
4.	Senior Administrative Grade Adviser (Cost)	21	Pay Band-4: Rs.37400-67000 plus Grade Pay Rs.10000
5.	Junior Administrative Grade (Non- functional Selection Grade) Director (Cost)/ Junior Administrative Grade Joint Director (Cost)	57	Pay Band-4: Rs.37400-67000 plus Grade Pay Rs.8700  Pay Band-3: Rs.15600-39100 plus Grade Pay Rs.7600
6.	Senior Time Scale Deputy Director (Cost)	43	Pay Band-3:Rs.15600-39100 plus Grade Pay Rs.6600

7.	Junior Time Scale	29	Pay Band-3: Rs.15600-39100 plus Grade Pay Rs.5400
	Assistant Director (Cost)		
8.	Reserves	20	Pay Band-3: Rs.15600-39100 plus Grade Pay Rs.5400
	Total	176	

**Note:** The number of posts in Non-functional Selection Grade shall be equal to thirty per cent. of the senior duty posts (that is all duty posts at the level of Senior Time Scale and above in the cadre)

#### **SCHEDULE II**

[See rule 7 (2)]

Statement showing the methods of recruitment, field of promotion, minimum qualifying service in the next lower grade and other eligibility conditions for appointment of officers by promotion/direct recruitment/deputation to duty posts included in the various grades.

S. No.	Designation of post	Whether selection or non- selection	Method of recruitment	Field of selection, minimum qualifying service and other eligibility conditions
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Chief Adviser (Cost) Apex Scale: Rs.80000 (Fixed)	Selection	By promotion failing which by deputation (Including Short Term Contract)	Additional Chief Adviser (Cost) in the Higher Administrative Grade+ scale of Rs.75500-(annual increment @3%)-80000 with one years' regular service in the grade.
2.	Additional Chief Adviser (Cost) Higher Administrative Grade+ Scale: Rs.75500-(annual increment @3%)-80000.	Selection	By promotion	Principal Adviser (Cost) in the Higher Administrative Grade scale of HAG: Rs.67000-(annual increment @3%)-79000 with one years' regular service in the grade
3.	Principal Adviser (Cost) Higher Administrative Grade Scale: Rs.67000- (annual increment @ 3%)-Rs.79000.	Selection	By promotion	(a) Officers holding the post of Adviser (Cost) in the Senior Administrative Grade in Pay Band-4: Rs.37400-67000 plus Grade Pay Rs.10000 in the Service with 3 years' regular service in the grade; or (b) Officers with twenty five years' regular service in Group 'A' posts in the Service out of which at least one years' regular service should be as Adviser (Cost) in Senior Administrative Grade; or (c) Officers with twenty one years' regular service in Group 'A' posts in the Service out of which at least one years' regular service should be as Adviser (Cost) in the Senior Administrative Grade in the case of Officers who had entered in the Service at the Senior Time Scale.
4.	Adviser (Cost) Senior Administrative Grade Pay Band-4: Rs.37400- 67000 plus Grade Pay Rs.10000	Selection	By promotion	<ul> <li>(a) Officers in the Junior Administrative Grade with eight years' regular Service in the Grade including service, if any, rendered in the Non Functional Selection Grade of the Junior Administrative Grade; or</li> <li>(b) Officers with seventeen years' regular service in Group 'A' posts in the service out of which at least four years regular service should be in the Junior Administrative Grade including service, if any, rendered in the Non- functional Selection Grade of the Junior Administrative Grade; or</li> </ul>

				(c) Officers with thirteen years' regular service in Group 'A' posts in the Service out of which at least four years regular service should be in the Junior Administrative Grade including service, if any, rendered in the Non- functional Selection Grade of the Junior Administrative Grade in the case of officers who had entered in the Service at the Senior Time Scale.
5.	Director (Cost) Selection Grade in Junior Administrative Grade (Non –functional) Pay Band-4: Rs.37400- 67000 plus Grade Pay Rs.8700		By placement subject to suitability	(a) Officers in the Junior Administrative Grade with five years' regular service in the grade; or  (b) Officers of the Junior Administrative Grade who have entered the 14th year of service as on the 1st January of the year calculated from the year of selection on the basis of which the Member was appointed or recruited to Group 'A' posts; or  (c) Officers of the Junior Administrative Grade who have entered the 10th year of Service as on the 1st January of the year calculated from the year of selection on the basis of which the member was appointed or recruited to Group 'A' posts in the case of officers who had entered in the Service at the Senior Time Scale.  Note: The requirement of ten years of regular service in Group 'A' posts of the Service shall not be applicable to those Junior Administrative Grade level officers who had entered the Service at the Senior Time Scale of Service, provided they are senior to the Junior Administrative Grade level officers who are otherwise eligible for Non-functional Selection Grade.
6.	Joint Director (Cost) Junior Administrative Grade Pay Band-3: Rs.15600- 39100 plus Grade Pay Rs.7600	Selection	By promotion failing which by deputation (Including Short Term Contract)	Officers holding the post of Deputy Director (Cost) with five years' regular service in the grade.
7.	Deputy Director (Cost) Senior Time Scale Pay Band-3: Rs.15600- 39100 plus Grade Pay Rs.6600	Selection	By promotion failing which by deputation (Including Short Term Contract)	Officers holding the post of Assistant Director (Cost) with four years' regular service in the grade.
8.	Assistant Director (Cost) Junior Time Scale Pay Band-3: Rs.15600- 39100 plus Grade Pay Rs.5400	Not applicable	By direct recruitment	<ul> <li>(a) Age: Not exceeding thirty-five years (relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)</li> <li>(b) Educational qualification:</li> <li>(A) Essential: <ul> <li>A qualification recognised for enrolment in the Register of Members of the Institute of Chartered Accountants of India or of the Institute of Cost Accountants of India.</li> </ul> </li> <li>(B) Desirable: <ul> <li>(i) Degree from a recognised University;</li> <li>(ii) three years' experience in Cost Accounting Work.</li> </ul> </li> </ul>

Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reason to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified.
Note 2: Recruitment to the post of Assistant Director (Cost) shall be made by direct recruitment on the basis of selection to be made by the Commission.
Note 3: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by Union Public Service Commission for receipt of applications from candidates in India.

# Annexure to Schedule II [See rule 7 (4)]

Statement showing field of selection and other eligibility conditions in the cases of appointment to duty posts included in the various grades of the Indian Cost Accounts Service by deputation or short-term contract.

Sl. No.	<b>Designation of post</b>	Field of selection, minimum qualifying service and other eligibility conditions
(1)	(2)	(3)
1.	Chief Adviser (Cost) Apex Scale: Rs.80000 (Fixed)	Officers of the Central Government or State Government or Public Sector Undertakings or Autonomous or Statutory Organisations, -  (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or Department; or
		(ii) with one years' regular service in the grade rendered after appointment thereto in the scale of Higher Administrative Grade+: Rs. 75500-(annual increment @ 3%)-80000 or equivalent in the parent cadre or Department; and
		(b) possessing the following educational qualifications and experience:-
		(i) Member of the Institute of Chartered Accountants of India or of the Institute of Cost Accountants of India; and
		(ii) twenty years' experience in Cost Accounting.
2.	Additional Chief Adviser (Cost)	Officers of the Central Government or State Government or Public Sector Undertakings or Autonomous or Statutory Organisations, -
	Higher Administrative Grade+	(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or Department; or
	Scale: Rs.75500-(annual increment @3%)-80000.	(ii) with one year regular service in the grade rendered after appointment thereto in the scale of Higher Administrative Grade: Rs. 67000-(annual increment @3%)-Rs.79000 or equivalent in the parent cadre or Department; and
		(b) possessing the following educational qualifications and experience:-
		(i) Member of the Institute of Chartered Accountants of India or of the Institute of Cost Accountants of India; and
		(ii) nineteen years' experience in Cost Accounting.
		Officers of the Central Government or State Government or Public Sector Undertakings or Autonomous or Statutory Organisations, -
	Grade Scale: Rs.67000- (annual increment @	(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or Department; or
	3%)-Rs.79000.	(ii) with three years' regular service in the grade rendered after appointment thereto in Pay-Band-4: Rs. 37400-67000 plus Grade Pay Rs.10000 or equivalent in the parent cadre or Department and
		(b) possessing the following educational qualifications and experience:-

		(i) Member of the Institute of Chartered Accountants of India or of the
		Institute of Cost Accountants of India; and
		(ii) eighteen years' experience in Cost Accounting.
4.	Adviser (Cost) Senior Administrative	Officers of the Central Government or State Government or Public Sector Undertakings or Autonomous or Statutory Organisations,-
	Grade Pay Band-4: Rs.37400-	(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or Department; or
	67000 plus Grade Pay Rs.10000	(ii) with eight years' regular service in the grade rendered after appointment thereto in Pay-Band-3: Rs. 15600-39100 plus Grade Pay Rs.7600 or equivalent in the parent cadre or Department; and
		(b) possessing the following educational qualifications and experience:-
		(i) Member of the Institute of Chartered Accountants of India or of the Institute of Cost Accountants of India; and
		(ii) fifteen years' experience in Cost Accounting.
5.	Joint Director (Cost)	Officers of the Central Government or State Government or Public Sector Undertakings or Autonomous or Statutory Organisations, -
	Pay Band-3: Rs.15600- 39100	(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or Department; or
	plus Grade Pay Rs.7600	(ii) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto in Pay Band-3: Rs. 15600-39100 plus Grade Pay Rs. 6600 or equivalent in the parent cadre or Department; and
		(b) possessing the following educational qualifications and experience:-
		(i) Member of the Institute of Chartered Accountants of India or of the Institute of Cost Accountants of India; and
		(ii) ten years' experience in Cost Accounting.
6.	Deputy Director (Cost)	Officers of the Central Government or State Government or Public Sector Undertakings or Autonomous or Statutory Organisations, -
	Pay Band-3: Rs.15600- 39100	(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or Department; or
	plus Grade Pay Rs.6600	(ii) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto in Pay-Band-3: Rs. 15600-39100 plus Grade Pay Rs. 5400 or equivalent in the parent cadre or Department; and
		(b) possessing the following educational qualifications and experience:-
		(i) Member of the Institute of Chartered Accountants of India or of the Institute of Cost Accountants of India; and
		(ii) five years' experience in Cost Accounting.
7.	Assistant Director (Cost)	Officers of the Central Government or State Government or Public Sector Undertakings or Autonomous or Statutory Organisations, -
	Pay Band-3: Rs.15600- 39100	(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or Department or
	plus Grade Pay Rs.5400	(ii) with three years' regular service in the grade rendered after appointment thereto in Pay-Band-2: Rs.9300-34800 plus Grade Pay Rs. 4600 or equivalent in the parent cadre or Department; or
		(iii) with eight years' regular service in the grade rendered after appointment thereto in Pay-Band-2: Rs.9300-34800 plus Grade Pay Rs.4200 or equivalent in the parent cadre or Department; and
		(b) possessing the following educational qualifications and experience:-
		(i) Essential:
		A qualification recognised for enrolment in the Register of Members of the Institute of Chartered Accountants of India or of the Institute of Cost Accountants of India.
		(ii) Desirable:
		(1) Degree from a recognised University;
		(2) three years' experience in Cost Accounting.
	i	

Note 1: The period of deputation or short-term contract including the period of deputation or short-term contract in the same or some other organisation of the Central Government shall be as provided in the Department of Personnel and Training guidelines for various grades.
<b>Note 2:</b> Not more than twenty per cent. of the sanctioned strength in any grade may be filled up by deputation or short-term contract.

#### SCHEDULE III

#### [See rule 7 (3) and 10]

Statement showing composition of Departmental Promotion Committee/Screening Committee for considering cases of promotion/confirmation and grant of Non-Functional Upgradation for various posts in the Indian Cost Accounts Service.

SI. No.	Designation of post	Composition of Departmental Promotion Committee for Promotion/ Screening Committee for grant of Non-Functional Selection Grade.	Composition of Departmental Promotion Committee for confirmation	Composition of Screening Committee for grant of Non-Functional Upgradation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Chief Adviser (Cost), Apex Scale	(i) Chairman or Member of the Union Public Service Commission - Chairman  (ii) Secretary, Ministry of Finance, Department of Expenditure - Member  (iii) Secretary, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs - Member	Not applicable	Not applicable
2.	Additional Chief Adviser (Cost) Higher Administrative Grade+	(i) Chairman or Member of the Union Public Service Commission - Chairman (ii) Secretary, Ministry of Finance, Department of Expenditure - Member (iii) Chief Adviser (Cost) - Member	Not applicable	Not applicable
3.	Principal Adviser (Cost), Higher Administrative Grade	<ul> <li>(i) Chairman or Member of the Union         Public Service Commission - Chairman</li> <li>(ii) Secretary, Ministry of Finance,         Department of Expenditure - Member</li> <li>(iii) Chief Adviser (Cost) or Additional         Chief Adviser (Cost) - Member</li> </ul>	Not applicable	(i) Secretary, Ministry of Finance, Department of Expenditure Chairman  (ii) Additional Secretary, Ministry of Finance, Department of Expenditure  (iii) Chief Adviser (Cost) or Additional Chief Adviser (Cost) - Member
4.	Adviser (Cost), Senior Administrative Grade	(i) Chairman or Member of the Union Public Service Commission - Chairman (ii) Secretary, Ministry of Finance, Department of Expenditure - Member (iii) Chief Adviser (Cost) or Additional Chief Adviser (Cost) - Member	Not applicable	(i) Secretary, Ministry of Finance, Department of Expenditure -Chairman (ii) Chief Adviser (Cost) or Additional Chief Adviser (Cost) - Member (iii) Principal Adviser (Cost) - Member

5	Dimagton (Cost)	Samanina Committae	Not applicable	(i) Connetons Ministry of
5.	Director (Cost) Selection Grade in Junior Administrative Grade (Non- functional)	Screening Committee:  (i) Secretary, Ministry of Finance, Department of Expenditure - Chairman  (ii) Chief Adviser (Cost) or Additional Chief Adviser (Cost) or Principal Adviser (Cost) - Member  (iii) Joint Secretary (Personnel), Ministry of Finance, Department of Expenditure - Member  (iv) Joint Secretary (Administrative Tribunal and Administration) Department of Personnel and Training - Member  (i) Chairman or Member of the Union	Not applicable  Not applicable	(i) Secretary, Ministry of Finance, Department of Expenditure -Chairman (ii) Chief Adviser (Cost) or Additional Chief Adviser (Cost) or Principal Adviser (Cost) -Member (iii) Joint Secretary (Personnel), Ministry of Finance, Department of Expenditure -Member (iv) Joint Secretary (Administrative Tribunal and Administration) Department of Personnel and Training -Member (i) Secretary, Ministry of
0.	(Cost) Junior Administrative Grade	Public Service Commission - Chairman  (ii) Secretary, Ministry of Finance, Department of Expenditure - Member  (iii) Chief Adviser (Cost) ) or Additional Chief Adviser (Cost) or Principal Adviser  (Cost) -Member	Not applicable	Finance, Department of Expenditure - Chairman  (ii) Chief Adviser (Cost) or Additional Chief Adviser (Cost) or Principal Adviser (Cost) - Member  (iii) Joint Secretary (Personnel), Ministry of Finance, Department of Expenditure - Member  (iv) Joint Secretary (Administrative Tribunal and Administration) Department of Personnnel and Training - Member
7.	Senior Time Scale Deputy Director (Cost)	(i) Secretary, Ministry of Finance, Department of Expenditure -Chairman  (ii) Chief Adviser (Cost) or Additional Chief Adviser (Cost) or Principal Adviser (Cost) -Member  (iii) Joint Secretary (Personnel), Ministry of Finance, Department of Expenditure -Member  (iv) Director, Department of Personnel and Training - Member	Not applicable	
8.	Assistant Director (Cost) Junior Time Scale	Not applicable	(i) Secretary, Ministry of Finance, Department of Expenditure	

	- Chairman
	(ii) Chief Adviser (Cost) or Additional
	Chief Adviser (Cost) or Principal Adviser (Cost) - Member
	(iii) Joint Secretary (Personnel),
	Ministry of Finance, Department
	of Expenditure
	-Member
	(iv) Director (Administration), Department
	of Expenditure
	-Member

- **Note 1**: The absence of a Member, other than the Chairman or a Member of the Commission shall not invalidate the proceedings of the Departmental Promotion Committee, if the other Member(s) of that Committee attended its meeting.
- **Note 2**: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligible service.
- **Note 3:** These rules shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette, however, sub-rule (4) of rule 6 shall come into force with retrospective effect with a view to regularise the service of the incumbent referred to in the said-rule and it is certified that by giving retrospective effect to aforesaid sub-rule, the interest of no body is likely to be adversely affected.

[F. No. A-12018/1/2014-CAC]

B. B. GOYAL, Principal Adviser (Cost)